न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवा राम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :–729/2017

1. भोलाराम
2. नाथूलाल
3. बाबूलाल

पुत्रान श्री गणपत समस्त जाति ब्राह्मण, नि0 ग्राम बढारणा, तहसील जिला जयपुर

–प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट–

बनाम

1. बिरदाराम
2. कानाराम

पुत्रान प्रभात, समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम बढारणा, तहसील आमेर,जिला जयपुर।

–रेस्पोडेंट/वादीगण–

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

4. उप पंजीयक आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

5. जगदीश पुत्र प्रभात, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम बढारणा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

रेस्पोडेन्टस/प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागण:–

1– श्री घीसा लाल कुमावत अपीलार्थीगण की ओर से।

2– श्री एन0 के0 यादव रेस्पोडेंट सख्या 1, 2 व 5 की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :– 09–02–2018

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 29.09.2016 सपठित आदेश 14.08.2012 न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 150/2012 उनवानी बिरदाराम व अन्य बनाम भोलाराम व अन्य प्रस्तुत की गई है।

2– अपीलान्टस द्वारा अपील प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 वादीगण ने अपीलान्ट व रेस्पोडेंट सख्या 3 लगायत 5 प्रतिवादीगण के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम बढारणा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 288, 715/1301, 748, 752, 753, 755/1302, 757, 747 कुल किता 8 कुल रकबा 1.72 हैक्टै0 के विषय में वाद बाबत्

घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण को दिनांक 01.08.2012 को जवाब पेश होने तक अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष दिनांक 14.08.2012 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने 14.08.2012 को दिनांक 01.08.2012 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त करते हुए पुनः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी क्योंकि उभय पक्षकारान् की तलबी नहीं हुई थी। तत्पश्चात् पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र रेस्पोडेंट संख्या 3 से 5 के लिए चल रही थी तथा पत्रावली में आगामी पेशी 14.07.2016 जवाब रेस्पोडेंट संख्या 3 से 5 के लिए नियत थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बगैर पत्रावली को तारीख पेशी से पूर्व ही दिनांक 29.06. 2017 को राजस्व लोक अदालत शिविर हरमाडा में प्रस्तुत होना लिखकर आर्डर शीट में मनमाने तथ्य लिखाकर दिनांक 14.08.2012 को जारी की गई अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को दौराने वाद कन्फर्म कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अनुचित व अवैध आदेश दिनांक 29.06.2016 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्टस द्वारा अपील के आधारों में अंकित किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद के वास्तविक मुद्दे को सही अर्थो में समझे बिना कतई परवर्स आरबीट्रेरी एवं कान्ट्रेरी टू ला आदेश अधीन पारित किया है जो प्रथमदृष्टया ही निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली वास्ते जवाब अन्य अप्रार्थीगण नियत थी। तारीख 14.07. 2016 वास्ते जवाब अन्य अप्रार्थीगण नियत थी। तारीख पेशी से पूर्व ही दिनांक 29.06. 2016 को पत्रावली को राजस्व लोक अदालत शिविर हरमाडा में पेश होना उल्लेखित कर आदेश अधीन अपील पारित किया है। दिनांक 29.06.2016 की पेशी का अपीलान्टस को कोई नोटिस नहीं दिया गया है। आदेश अधीन अपील प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बगैर पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश अधीन अपील पारित करने से पूर्व पत्रावली का अवलोकन नहीं किया है।रेस्पोडेंट ने जवाब दिनांक 14.08.2012 को ही पेश कर दिया था। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेशिका में यह लिखकर कि अप्रार्थीगण ने जवाब पेश नहीं किया है अतः दिनांक 14.08.2012 द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा तादौराने वाद कन्फर्म किया जाता हैं, कतई रिकॉर्ड के विपरीत अनुचित व अवैध है। अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने संबंधी प्रावधानों प्रथमदृष्टया केस, अपूर्तनीय क्षति एवं सुविधा का सन्तुलन पर तनिक भी गौर व विवेचन न कर भंयकर कानूनी गलती की है जबकि उक्त तीनों सिद्धान्त अपीलान्ट के हक में बखूबी साबित है। वादग्रस्त आराजियात के अपीलान्टस रिकॉर्डेड काबित खातेदार काश्तकार है काबिज रिकॉर्डेड खातेदार को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने काबिज रिकॉर्डेड काश्तकार अपीलान्ट को पाबन्द कर भंयकर कानूनी गलती की है।

वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेंट/वादी का न कब्जा है न स्वत्व है न किसी प्रकार का संबंध है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को अनुचित व अवैध रूप से पाबन्द कर भंयकर कानूनी गलती की है।अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद एवं प्रार्थना पत्र साथ–साथ चल रहे हैं तथा दोनों में एक साथ ही पेशी पड रही थी। वाद एवं प्रार्थना पत्र में वास्ते जवाब रेस्पोडेंट संख्या 3 लगायत 5 तारीख पेशी 14.07.2016 नियत थी। अधीनस्थ न्यायालय ने नियत पेशी से पूर्व ही पत्रावली को दिनांक 29.06.2016 को राजस्व लोक अदालत शिविर हरमाडा में पेश होना बताकर आदेश अधीन अपील दिनांक 29.06.2016 को अपीलान्ट को सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर पारित किया है जिसका ज्ञान अपीलान्टस को अब से पूर्व नहीं हो पाया है। जुलाई 2017 के प्रथम सप्ताह में रेस्पोडेंन्ट संख्या 1 व 2 ने अपीलान्टस को धमकी दी कि कैम्प में स्टे का फैसला उन्होनें अपने पक्ष में करा लिया है।इसलिए वो वादग्रस्त आराजी में से कब्जा छोडकर रेस्पोडेंटस को संभला देवें। जिस पर अपीलान्ट को चिंता हुई उन्होनें अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उन्होनें बताया कि ऐसा फैसला होने की उनको कोई जानकारी नहीं है।तत्पश्चात् अधिवक्ता अपीलान्टस ने अदालत में मालूमात व जानकारी की तो स्टे की पत्रावली दावे की पत्रावली में नियत तारीख पेशी 20.06.2017 को साथ नहीं होना पाया तथा रीडर से इस विषय में निवेदन करने पर बताया कि वर्तमान कैम्प में कोई फैसला इस पत्रावली में नहीं हुआ है। तलाश करने पर पूर्व में हुए कैम्प की लिस्ट देखी तो आदेश अधीन अपील के लिए नकल का आवेदन प्रस्तुत किया।जिस पर नकल दिनांक 25.07.2017 को दी गई। नकल मिलने से आदेश अधीन अपील का अपीलान्टस व उनके अधिवक्ता को पूर्ण ज्ञान हुआ। इससे पूर्व आदेश अधीन अपील का ज्ञान अपीलान्टस को किसी भी स्त्रोत से नहीं हुआ है। नकल मिलने के बाद का समय कानूनी राय व अपील तैयार करवाने में लगा है। ज्ञान की तिथि से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपीलान्टस द्वारा अपील प्रस्तुत कर आदेश अधीन अपील दिनांक 29.06.2016 सपठित आदेश 14.08.2012 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई।उभय पक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया तथा कथन किया गया कि दिनांक 14–08–2012 को अपीलान्ट द्वारा अधिनसी न्यायालय केसमक्ष जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करदिया गया था तथा पत्रावली अन्य अप्रार्थीयान के जवाब हेतु चल रही थी तथा आगामी पेशी दिनांक 14–07–2016 नियत थी।पत्रावली को नियत तिथि से पूर्व ही दिनांक 29–6–2016 को राजस्व लोक अदालत शिविर हरमाडा में अपीलान्टस को कोई सूचना दिये बगैर रखा जाकर अपीलाधीन आदेश

पारित किया गया है। जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धात के विपरीत है।आदेश में अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु आवश्यक तीनों घटकों पर कोई विवेचन नहीं किया गया है।अपीलान्ट वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा उन्हें बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो कि न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत के विपरीत है।अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा कथन किया गया अपीलाधीन आदेश की उन्हें कतई जानकारी नही हुई है तथा जानकारी प्राप्त होने की दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत कर दी गई है अतःप्रार्थना–पत्र धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जावे तथा अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है तथा जानकारी नहीं होने का कथन मिथ्या किया गया है। प्रकरण में दिनांक 01–08–2012 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी तथा दिनांक 7–8–2012 को रेस्पोडेन्टस की ओर से अधिवक्ता श्री आर0 सी0 अग्रवाल उपस्थित हो गये थे। दिनांक 9–8–2012 को अपीलान्टस की ओर से दूसरे अधिवक्ता श्री महावीर अग्रवाल उपस्थित हुए तत्पश्चात अपीलान्टस के अधिवक्ता की बहस सुनी जाकर दिनांक 14–8–2012 को उभयपक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने के आदेश पारित किये गये है। दिनांक 22/02/2013 को अपीलान्टस की ओर से श्री पी0 एल0 माथुर अधिवक्ता उपस्थित हुए है।अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–6–2016 द्वारा अंतरिम आदेश को कन्फर्म किया गया है तथा अपील में दो आदेशों दिनांक 29–6–2016 व 14–8–2012 को निरस्त करने की इस्तदुआ चाही गई है जो कि अवैध है क्योंकि दोनों आदेश भिन्न भिन्न है तथा इनकी अपील भी अलग अलग होनी चाहिये थी। दिनांक 14–8–2012 के आदेश का ज्ञान तो प्रारम्भ से ही रहा है। धारा 5 में वर्णित कथन असत्य व अस्पष्ट है क्योंकि वर्तमान अधिवक्ता अपीलान्टस अधिनस्थ न्यायालय में अधिवक्ता नही थे जिनसे जानकारी होने का कथन प्रार्थना–पत्र धारा 5 में किया गया है। अतः प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है। रिकॉर्डेड खातेदार को भी जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जा सकता है अतः अपील खारिज की जावे।

7– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। अपीलान्टस द्वारा अपनी अपील में मुख्य रूप से आपत्ति ली गई है कि प्रकरण को नियत तिथि दिनांक 14–7–2016 से पूर्व ही दिनांक 29–06–2016 को बगैर कोई पूर्व सूचना के रखा गया है, अपीलान्टस द्वारा दिनांक 14–8–2012 को जवाब प्रस्तुत कर देने के बावजूद जवाब

पेश नहीं किया जाना उल्लेख किया गया है, अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए आवश्यक तीनों घटकों पर कोई विचार नहीं किया गया है तथा रिकॉर्डेड खातेदार को अनुचित तौर पर निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है।इसके अतिरिक्त अपीलान्टस द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उन्हें दिनांक 25–07–2017 को नकल प्राप्त होने से पूर्व अपीलाधीन आदेश की कोई जानकारी नहीं रही है।उक्त आपत्तियों के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया।पत्रावली वास्ते जवाब टी0 आई0 दिनांक 14–7–2016 को नियत थी। तत्पश्चात उक्त नियत तिथि से पूर्व ही पत्रावली को दिनांक 29–6–2016 को राजस्व लोक अदालत शिविर हरमाडा में पेशी में लिया गया है। उक्त दिवस की आदेशिका में उल्लेख किया गया है कि ''पक्षकारान बावजूद सूचना अनुस्पित पत्रावली का अवलोकन किया गया।अप्रार्थीगण को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद आज दिनांक तक प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जवाब पेश नहीं किया गया। अतःआदेशिका दिनांक 14–08–2012 द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ता–दौराने वाद कम्फर्म किया जाता है।''अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर दिनांक 29–6–2016 को पत्रावली के शिविर में रखे जाने संबंधी कोई नोटिस पक्षकारान को जारी किये गये हो इस आशय का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।इससे स्पष्ट है कि पत्रावली को नियत पेशी दिनांक 14–07–2016 से पूर्व दिनांक 29–06–2016 को रखे जाने बाबत कोई नोटिस पक्षकारान को जारी नहीं हुए है। अप्रार्थीगण सख्या 01 लगायत 03/अपीलान्टस द्वारा अधिनस्थ न्यायालय केसमक्ष दिनांक 09–08–2012 को जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।उक्त जवाब प्रार्थना–पत्र को अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 14–08–2012 को रिकार्ड पर लिया गया है।अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–06–2016 में यह उल्लेख किया जाना कि अप्रार्थीगण अपीलान्टस द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र नहीं प्रस्तुत किया गया है अनुचित है तथा न ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब प्रार्थना–पत्र की कोई विवेचना ही की गई है।अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट सख्या 1 व 2 द्वारा वाद बाबत घोषणा इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण/अपीलान्टस के पूर्वज की खातेदारी भूमि रही है तथा वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से पर उनका हक अधिकार रहा है तथा उक्त अधिकार की घोषणा बाबत दावा पेश कर प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा भी प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण सख्या 1 लगायत 3 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण रेस्पो0 सख्या 1 व 2 का कोई हक व हिस्सा नहीं रहा है तथा वादग्रस्त भूमि एकमात्र अप्रार्थीगण सख्या 1 लगायत 3 के पूर्वज रघुनाथ पुत्र ईसर के नाम संवत 2010 से चली आई है तथा उसकी एकमात्र वारिस एक पुत्री हुई थी जिसने अप्रार्थीगण सख्या

1 लगायत 3 के पिता गणपत के हक में हक त्याग कर दिये जाने से उक्त भूमि पूर्व में गणपत के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुई तथा गणपत की मृत्यु उपरान्त जरिये विरासत उक्त भूमि अप्रार्थीगण सख्या 1 लगायत 3 के हक में दर्ज हुई है वे ही काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थीगण रेस्पो0 सख्या 1 लगायत 2 का वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा संवत 2010 से 2023 तक की पर्चा चकबंदी में उक्त भूमि अप्रार्थीगण के दादा रघुनाथ के नाम से दर्ज रही है।इस प्रकार काश्तकार अधिनियम प्रारम्भ होने से पूर्व ही उक्त भूमि एकमात्र रघुनाथ के नाम दर्ज होने से प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि वादग्रस्त भूमि कभी प्रार्थीगण के पूर्वज के नाम से रही हो। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में यह भी कथन किया गया है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में कभी कोई समझौता प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य नहीं हुआ है।जवाब प्रार्थना–पत्र में उपर्युक्त तथ्य अंकित करते हुए अप्रार्थीगण द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि प्रार्थीगण के पक्ष ने कोई प्रथमदृष्टया मामला, अपूर्णीय क्षति, तथा सुविधा का संतुलन नहीं उत्पन्न होता है तथा वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण सख्या 01 लगायत 3 के एकल स्वामित्व में होने तथा अपने पूर्वज के समय से ही काबिज काश्त चले आने से उक्त तीनो घटक अप्रार्थीगण/अपीलान्टस के पक्ष में होनेका कथन भी अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदियॉ प्रस्तुत की गई है उनमें वादग्रस्त भूमि को अपीलान्टस के नाम दर्ज होना अंकित है।प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि का साबिक खाता सख्या 73 होना उल्लेख किया गया है परन्तु उक्त खाता से संबंधी कोई राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि प्रथमदृष्टया वादग्रस्त भूमि उनके पूर्वज के नाम दर्ज रिकार्ड होना साबित होता हो।उभयपक्षकारान के हक हकूकों का निर्णय वाद की नियमित सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर अधिनस्थ न्ययालय द्वारा किया जा सकेगा परन्तु अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि अपीलान्टस की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है तथा प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस द्वारा अपने पक्ष में प्रथमदृष्टया केस साबित किये जाने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है ऐसी परिस्थिति में रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित नही है।अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 5 में वर्णित तथ्य कि उन्हें पत्रावली को दिनांक 29–6–2016 को पेशी में लिये जाने बाबत सूचित नही किया गया था, उपर्युक्त विवेचन से सत्य साबित होता है अतः प्रार्थना–पत्र धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।उपर्युक्त विवेचन से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश नॉन स्पीकिंग तथा तथ्यों के विपरीत होने के कारण उसमें सारभूत विधिक त्रुटि कारित किया जाना

पाया जाता है तथा उक्त आदेश बहाल रखे जाने योग्य नही है।अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है।

8– अतःअपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–06–2016 सपठित दिनांक 14–08–2012 को निरस्त किया जाता है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9– निर्णय आज दिनांक 09–02–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर